

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2316/2016

कुसुम कुमारी

—अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर जॉन, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक— I, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.05.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बसंल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी के अर्द्धवेतनिक अवकाश एवं उपार्जित अवकाश को स्वीकृत किया जाए।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के अर्द्धवेतनिक अवकाश को स्वीकृत किया जा चुका है। साथ ही उपार्जित अवकाश एवं असाधारण अवकाश को भी स्वीकृत किया जा चुका है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी को चाहा गया अनुतोष प्रत्यर्थी विभाग ने प्रदान कर दिये हैं।
4. परिणामस्वरूप यह अपील सारहीन हो जाने के कारण खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)